



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27082025-265729
CG-DL-E-27082025-265729

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3803]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 26, 2025/भाद्र 4, 1947

No. 3803]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 26, 2025/BHADRA 4, 1947

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2025

S.O. 3908(अ).—मुख्य वैद्युत निरीक्षक की योग्यता, शक्ति और प्रकार्य तथा वैद्युत निरीक्षक नियम, 2006 (जिसे इसके बाद उक्त नियम कहा जाएगा), जिसे दिनांक 17.8.2006 को अधिसूचित किया गया तथा दिनांक 16.05.2016 को संशोधित किया गया, के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 162 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद् द्वारा, चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड (सीएमआरएल) के निम्नलिखित अधिकारियों को उक्त नियमों में उल्लिखित योग्यता और शर्तों के अध्यधीन, इस अधिसूचना की तारीख से सीएमआरएल में उनके कार्यकाल तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड (सीएमआरएल) के वैद्युत निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है:

क्रम सं.	नाम (श्री)	पदनाम	योग्यता	नियुक्तियों के लिए प्रस्तावित
1	श्री बी गोपीनाथ माल्या	मुख्य सलाहकार (प्रचालन एवं रखरखाव)	बी.टेक (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग)	वैद्युत निरीक्षक
2	एस.के. नटराजन	सलाहकार (ई एंड एम)	एएमआईई (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) एमई (पावर सिस्टम), सी-लाइसेंस धारक, प्रमाणित ऊर्जा लेखा परीक्षक	वैद्युत निरीक्षक

3	बालामुरुगन सी	अपर महाप्रबंधक (रोलिंग स्टॉक)	डीईईईई (इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स), बीई (इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स), एमई (पावर सिस्टम), एमबीए (मार्केटिंग), प्रमाणित आईपीएमए लेवल बी-वरिष्ठ परियोजना प्रबंधक, एफआईई और सी.इंजी.(आई)	वैद्युत निरीक्षक
4	एम. अंबुराजन	संयुक्त महाप्रबंधक (पीएस एंडओएचई), सीएमआरएल	बी.ई(ईईईई)	वैद्युत निरीक्षक

उपर्युक्त अधिकारी समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 में प्रदत्त प्रक्रिया के अनुसार, सीएमआरएल के नियंत्रणाधीन/सीएमआरएल से संबंधित कार्यों और विद्युत संस्थापनों के संबंध में सीएमआरएल के अधिकार क्षेत्र में संचालित विद्युत कार्यों, विद्युत संस्थापनों और विद्युत रोलिंग स्टॉक के संबंध में शक्तियों का प्रयोग और अपने प्रकार्यों का निष्पादन करेंगे।

यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उपर्युक्त अधिकारी किसी भी विद्युत कार्य या संस्थापन, जिसका निष्पादन या रखरखाव उनकी जिम्मेदारी है, के संबंध में वैद्युत निरीक्षक के रूप में कार्य न करें।

वैद्युत निरीक्षक के रूप में नियुक्त अधिकारियों को ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, जिसे केन्द्र सरकार इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे और ऐसा प्रशिक्षण सरकार की संतुष्टि के अनुसार पूरा किया जाएगा।

[फा. सं. 42/2/2025-आर एंड आर-II]

श्रीकांत नागुलापल्ली, अपर सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2025

S.O. 3908(E).—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 162 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with Qualifications, Powers and Functions of Chief Electrical Inspector and Electrical Inspectors Rules, 2006 (hereinafter called the said Rules), notified on 17.08.2006 and as amended on 16.05.2016, the Central Government hereby appoints the following officers of Chennai Metro Rail Limited (CMRL) as Electrical Inspector for Chennai Metro Rail Limited (CMRL) from the date of this Notification till their tenure in CMRL or till further orders, whichever is earlier, subject to fulfillment of the qualifications and conditions mentioned in the said Rules:-

S. No.	Name (Shri)	Designation	Qualification	Proposed for appointments as
1	Thiru B Gopinath Mallya	Chief Advisor(Operations and Maintenance)	B.Tech (Electrical Engineering)	Electrical Inspector
2	S.K. Natarajan	Advisor (E&M)	AMIE (Electrical Engineering) ME (Power System), C-License Holder, Certified Energy Auditor	Electrical Inspector
3	Balamurugan C	Additional General Manager (Rolling Stock)	DEEE (Electrical & Electronics), BE (Electrical & Electronics), ME (Power Systems), MBA (Marketing), Certified IPMA Level B-Senior Project Manager, FIE & C.Eng.(I)	Electrical Inspector
4	M. Anburajan	Joint General Manager(PS&OHE), CMRL	B.E(EEE)	Electrical Inspector

The above mentioned officers shall exercise the powers and perform their functions in respect of electrical works, electrical installations and electrical rolling stock in operation within the areas occupied by CMRL in respect of work and electrical installations under the control of CMRL/belonging to CMRL as per the procedure laid down in Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electricity Supply) Regulations, 2010, as amended from time to time.

It shall be ensured that above mentioned officers shall not function as Electrical Inspector in respect of any electrical work or installation, for which, execution or maintenance is their responsibility.

The officers appointed as Electrical Inspector shall undergo such training as the Central Government may consider necessary for the purpose and such training shall be completed to the satisfaction of the Government.

[F. No. 42/2/2025-R&R-II]

SRIKANT NAGULAPALLI, Addl. Secy.